अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक – 22 सितंबर 2004

क्रमांक –.2560–वि.नि.आ.–04. विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (2) (व्ही), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (2) (डब्ल्यू), धारा 47 (2), 47 (3) एवं 47 (5) सहपठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2004'' बनाता है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 यह विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2004'' कहा जायेगा।

1.2 यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

1.3 यह विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा।

परिभाषाएं

1.4 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2001 (क्र. 4 वर्ष 2001) एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में परिभाषित है।

प्रतिभूति निक्षेप

1.5 अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपभोक्ताओं से, विद्युत के संयोजन हेतु स्थापित किये गये मीटर, लाइन एवं संयंत्रों एवं विद्युत प्रदाय के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप जमा करवा सकता है।

1.6 प्रतिभूति केवल नगद या ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जावेगी। चेक केवल इस शर्त पर स्वीकार किए जावेंगे कि चेक की राशि के भुगतान प्राप्त होने पर ही विद्युत प्रदाय प्रारंभ किया जा सकेगा।

नवीन प्रदाय देने हेतु संयंत्र/लाइन के विरूद्ध प्रतिभूति निक्षेप

1.7 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से लाइन एवं संयंत्र के विरूद्ध जहाँ ऐसे उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र स्थापित कराया जाना हो, को ऐसी लाइन या संयंत्र की व्यवस्था के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप वसूल कर सकेगा।

मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एस.एस.डी.)

1.8 अनुज्ञप्तिधारी मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप संग्रह कर सकता है। नवीन विद्युत संयोजनों के लिए मीटर की प्रतिभूति निक्षेप विद्युत प्रदाय स्वीकृति के उपरांत तथा मीटर/मीटरिंग संयंत्रों की स्थापना से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर, समय समय पर,

नियत दरों की सारणी के अनुरूप देय होगी। यदि नवीन संयोजन का आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप जमा करने में असफल रहता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी यदि उचित समझे तो, ऐसी असफलता की अवधि तक, विद्युत प्रदाय करने से इन्कार कर सकेगा।

1.9 अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में जहाँ मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एम.एस.डी) वसूल न की गई हो, कंडिका 1.8 में प्रावधानित दरों से, जब भी मीटर प्रतिस्थापित किया जाए, मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एम.एस.डी) वसूल कर सकेगा।

1.10 जहाँ मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप (एम.एस.डी) पूर्व में वसूल की जा चुकी हो तो बाद में मीटर की लागत के अंतर की राशि वसूल नहीं की जावेगी। यद्यपि मीटर उच्च तकनीक, दोषपूर्ण होने, कार्य न करने या अन्य कारणों से प्रतिस्थापित किया गया हो।

1.11 जब ग्राहक स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप मीटर लगाता हो तो मीटर की प्रतिभूति निक्षेप (एम.एस.डी) वसूल नहीं की जावेगी।

प्रारंभिक ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप

1.12 अनुज्ञप्तिधारी नवीन सेवा संयोजन हेतु उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट दिनों के लिए अनुमानित उपभोग के समान उपभोग हेतु निम्न सारणी के अनुसार प्रतिभूति राशि ले सकेगा :—

क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	दिनों की संख्या
1	कृषि (1) स्थायी (2) अस्थायी	 90 अस्थायी संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु
2	मौसमी	वार्षिक उपभोग का 25 प्रतिशत
3	स्टोनक्रशर, हाट—मिक्स संयंत्र	90
4	विधिक आधिपत्य के प्रमाण प्रस्तुत न कर सकने वाले उपभोक्ता	90
5	अन्य उपभोक्ता	45

1.13 यदि नवीन संयोजन का आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप देने में असफल रहता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि उचित समझे तो, ऐसी असफलता की अवधि तक विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इन्कार कर सकेगा।

1.14 यदि विद्युत प्रदाय हेतु इच्छुक व्यक्ति पूर्व भुगतान मीटर (प्री पेमेंट मीटर) के माध्यम से प्रदाय हेतु सहमत हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

1.15 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना, संयोजित भार/संविदा मांग (के डब्ल्यू., एच.पी. या के.वी.ए. में जैसा कि प्रकरण हो) जिसके लिए अनुबंध किया गया हो, निम्न प्रकार से की जावेगी :—

क्र.	श्रेणी	प्रतिभूति निक्षेप की गणना हेतु प्रतिमाह (30 दिन) में अनुमानित उपभोग (युनिट में)
1	घरेलू	(1) 140 यूनिट प्रति के. डब्ल्यू. (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसका अंश
2	एस.एल.पी.	45 यूनिट प्रति संयोजन
3	घरेलू न हो	(1) 140 यूनिट प्रति के. डब्ल्यू. (2) 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसका अंश
4	जल कार्य	150 यूनिट प्रति के. डब्ल्यू या 110 यूनिट प्रति एच.पी.
5	औद्योगिक	70 यूनिट प्रति के. डब्ल्यू या 50 यूनिट प्रति एच.पी.
6	कृषि	120 यूनिट प्रति एच.पी.
7	थ्रेशर हेतु	360 यूनिट प्रति एच.पी.
8	स्ट्रीट लाइट	270 यूनिट प्रति के. डब्ल्यू.
9	उच्चदाब उपभोक्ता	420 यूनिट प्रति के.डब्ल्यू. या 380 यूनिट प्रति के.वी.ए

आवेदक द्वारा आवेदित संयोजन/संविदा मांग हेतु उक्त दर्शाई गई सारणी के अनुसार प्रचलित दर पर समस्त देयक शीर्षकों के लिए गणना किए गये यूनिट्स का बिल प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना हेतु दिया जाएगा। ऐसी गणना की गई प्रतिभूति निक्षेप अगले 100 रूपये तक बढ़ाई जावेगी।

ऊर्जा प्रदाय हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप

1.16 निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं से प्राप्त ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएस.डी.) का अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा वार्षिक रूप से पिछले 12 महिनों के उपभोग के आधार पर प्रतिवर्ष माह अप्रेल में पुनरावलोकन किया जावेगा। उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए प्रतिभूति निक्षेप का पुनरावलोकन अर्धवार्षिक आधार पर अक्टोबर तथा अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में पिछले 6 माह के उपभोग के आधार पर किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप देने हेतु मांग कर सकेगा ताकि प्रतिभूति निधि की राशि इस विनियम की कंडिका 1. 12 की सारणी में दर्शाई गई अवधि/उपभोग के बराबर हो सके, यदि प्रचलित दरों आदि के आधार पर चाही गई प्रतिभूति निधि की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की राशि से 100/– रूपये या अधिक हो।

1.17 अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप जमा करने हेतु कम से कम एक माह की सूचना देगा। यदि उपभोक्ता सूचना के अनुसार ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रवाह ऐसी असफलता के निरंतरता की अवधि के लिए इन्कार करने या रोकने के लिए अधिकृत होगा। यदि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान में विलम्ब करता है तो अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रवाह रोकने के अधिकार के पूर्वाग्रह

के बिना, इस विनियम के अनुसार उपभोक्ता ऐसा अधिभार देने के लिए दायी होगा जो विद्युत/मांग प्रभारों (टेरीफ आदेश में यथावर्णित) के भुगतान में विलम्ब के कारण देय अधिभार के समान हो।

1.18 वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक मासिक देयकों के भुगतान न करने का दोषी होने की स्थिति में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनकी प्रतिभूति निक्षेप उनके 45 दिनों के उपभोग के बराबर हो, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी प्रतिभूति की निक्षेप को 45 दिनों के उपभोग स्तर से बढ़ाकर 90 दिन के उपभोग अनुरूप जमा करवा सकता है।

1.19 ऐसे उपभोक्ता जिन्हें अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया हो, के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की गणना ऐसे अतिरिक्त भार के लिए इस प्रकार से की जावेगी जैसे कि एक नवीन विद्युत संयोजन के लिए की जाती हो। इसी प्रकार से यदि संविदा मांग कम होती है तो अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति की पुनर्गणना करेगा एवं कम की गई संविदा मांग के अनुबंध के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी के पास शेष उपलब्ध अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को वह अनुबंध माह के बाद उपभोक्ता के आगामी विद्युत देयकों की राशि में से 3 समान किश्तों में समायोजित करेगा।

1.20 उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप तीन किशतों में जमा करने की सुविधा दे सकेगा।

प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

1.21 उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप पर अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर) ब्याज देगा। प्रतिभूति निक्षेप पर यह ब्याज 10 जून 2004 से देय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रचलित बैंक दर की जानकारी प्राप्त करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा तथा वह बिलिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित करेगा।

1.22 अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर प्रतिमाह दिए जाने वाले ब्याज के बराबर राशि का समायोजन मासिक देयकों के माध्यम से करेगा। मासिक देयक में दी जाने वाली यह राशि माह अक्टूबर, 2004 से लागू होगी। ऐसे समायोजन में तीन माह से अधिक का विलम्ब होने पर उपभोक्ता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकेगा।

1.23 प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के भुगतान में विलम्ब की अवधि हेतु, सम्यक प्राधिकार द्वारा आरोपित किये जाने वाली शास्ति के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी एक प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज पर ब्याज देने हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रतिभूति निक्षेप की वापसी

1.24 प्रतिभूति निक्षेप, अनुबंध समाप्ति तथा समस्त बकाया के समायोजन के उपरांत, औपचारिकताओं की पूर्ति के 60 दिवस की अवधि में, उपभोक्ता को लौटा दी जावेगी। 60 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर, प्रचलित बैंक दर से अधिक ब्याज, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया जावे, उपभोक्ता को देय होगा।

संशोधन की शक्ति

1.25 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान को बढ़ा, संशोधित, परिवर्तित, सुधार या बदल सकेगा।

व्यावृत्ति

1.26 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की अन्तर्भूत शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जावेगा जो न्यायदान हेतु या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

1.27 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों से भिन्न हों किन्तु विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुकूल हों तथा यदि आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित समझे।

1.28 इन विनियमों में कुछ भी प्रत्यक्ष या अंतरनिहित रूप से किसी विषय के निर्वहन या विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से आयोग को नहीं रोकेगा जिनके लिए पृथक से विनियम नहीं बनाए गये हैं तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कार्यो पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

टीपः— इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2004'' के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

—————————